



# कार्यालय नगर निगम जयपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-15)

निजी / व्यावसायिक भवनों / प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली के ठेके की  
द्वितीय वर्ष 2014-15

1.	निजी / व्यावसायिक भवनों / प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए जयपुर शहर की बाहर दीवासी क्षेत्र को छोड़कर जोनवार 7 जोनों की पृथक-पृथक हिवानदहन परिषद जोन को छोड़कर) विज्ञापन शुल्क वसूली खुली नीलामी के माध्यम से की जावेगी। नीलामी वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए होगी। वर्ष 2014-2015 में नीलामी स्वीकृत हो जाती है तो उस स्थिति में नगर निगम द्वारा वसूली गई राशि का समायोजन वर्ष 2014-2015 में सर्वेदक की बकाया 3/4 देय राशि में किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में विज्ञापन शुल्क वसूली नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन)(संशोधन) उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों व समय समय पर राज्य सरकार व नगर निगम जयपुर द्वारा जारी आदेश के तहत वसूल कर सकेगा।
2.	अधिकृत सर्वेदक निजी / व्यावसायिक भवनों / प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर विज्ञापन शुल्क ही वसूली कर सकेंगे जिसमें सिनेमा हॉल, पेट्रोल पम्प शामिल होंगे। नगर निगम जयपुर द्वारा नीलामी या अन्य प्रकार से दिये गए विज्ञापन अधिकारों के विज्ञापन शुल्क की वसूली का अधिकार सर्वेदक को नहीं होगा।
3.	अधिकृत सर्वेदक निजी / व्यावसायिक भवनों / प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन का जयपुर नगर निगम की विज्ञापन उपविधियाँ द्वारा निर्धारित दरों / शर्तों के अनुसार ही विज्ञापन शुल्क वसूल कर सकेगा। विज्ञापन शुल्क वसूली की दरें व शर्तें नगर निगम जयपुर की वेबसाइट <a href="http://www.jaipurimc.org">www.jaipurimc.org</a> एवं <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध रहेंगी।
4.	यह ठेका नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुरूप होगा। सर्वेदक को इन उपविधियों के तहत नगर निगम जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
5.	राज्य सरकार या नगर निगम जयपुर द्वारा इस संबंध में जारी संशोधित निर्देशों या संशोधित उपविधि की भी पालना सर्वेदक को करनी होगी। जिन विज्ञापनों पर विज्ञापन शुल्क वसूली पर वर्तमान में नीलामी से पूर्व या ठेका अवधि के दौरान न्यायालय का स्थगन आदेश है उस स्थगन आदेश की पालना सर्वेदक द्वारा की जावेगी। ठेका अवधि के दौरान स्थगन निरस्त होने पर सर्वेदक ठेका अवधि की बकाया शुल्क वसूली कर सकेंगे। सम्पूर्ण ठेका अवधि में स्थगन निरन्तर जारी रहता है तो स्थगन से प्रभावित वसूली में सर्वेदक का कोई क्लेम नहीं होगा एवं निविदा अवधि पर्याप्त स्थगन हटने पर शुल्क निगम वसूल करेगा।
6.	प्रत्येक बोलीदाता नगर निगम जयपुर के द्वारा जोनवार निर्धारित की गई अमानत राशि अलग-अलग जमा कथाकर नीलामी में भाग ले सकेगा। यह राशि नगर निगम जयपुर के पत्र में देय राष्ट्रीय बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा जमा कराई जा सकती है। एक बोलीदाता एक से अधिक जोनों की नीलामी में भाग ले सकेगा। अमानत राशि निम्न तालिका अनुसार होगी-

क्र.सं.	जोन का नाम	अमानता राशि (लाखों में)
1.	मानसरोवर जोन	709000/-
2.	सांगनेर जोन	709000/-
3.	आमरेर जोन	142000/-
4.	हवामहल जोन पूर्व	91000/-
5.	सिदिल लाईन जोन	2130000/-
6.	विद्याधर नगर जोन	2130000/-
7.	मोतीदुंगरी जोन	1420000/-

- 7 सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत दर राशि 1000 ₹. के गुणक में होगी। उच्चतम दरों को स्वीकृत करने अथवा स्वीकृत नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, राज्य सरकार की स्वीकृति परचात नगर निगम जयपुर द्वारा जारी कार्यादेश परचात ही सर्वेदक फर्म द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली आरंभ की जा सकेगी।
- 8 प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को अंकुरक शौच बोलीदाताओं की अमानता राशि लौटा दी जावेगी। द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम निविदादाता को विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति जारी करने के परचात लौटाई जावेगी। उच्चतम बोलीदाता को अधिकृति पत्र सक्षम स्तर स्वीकृति परचात जारी किया जावेगा।
- 9 सफल बोलीदाता की अमानता राशि बतौर धराहर राशि ठेका समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी।
- 10 उच्चतम सर्वेदक द्वारा उच्चतम बोली राशि की 1/4 राशि जमा कराने में असफल रहने पर जमा अमानता राशि अथवा अन्य जमा राशियां जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विलुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम बोलीदाता को उसकी बोली पर गुणावयुक्त के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति परचात ठेका देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 11 पर्याप्त दर राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से ठेका तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर का होगा।
- 12 ठेके के लिए बोली वर्ष 2014-15 के लिए जोनवार लगाई जावेगी। वर्ष 2014-2015 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2015-16 की ठेका राशि निर्धारित होगी तथा वर्ष 2015-16 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2016-17 की ठेका राशि निर्धारित की जावेगी।
- 13 उच्चतम बोलीदाता द्वारा अपनी उच्चतम बोली की 1/4 राशि नगर निगम जयपुर कोष में 24 घंटे में बैंक चैक/डी डी द्वारा जमा करानी होगी। राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को राशि जमा करानी होगी।
- 14 सर्वेदक को 3/4 राशि के बराबर की नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी बोली स्वीकृति जारी होने के 5 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी प्रस्तुत करते ही सर्वेदक को विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु अधिकृति (लाईसेंस) जारी कर दी जावेगी। यह 3/4 राशि की बैंक गारंटी सम्वन्धित ठेका वर्ष की अंतिम किस्त जमा कराने के 15 दिवस बाद लौटा दी जावेगी।
- 15 सर्वेदक द्वारा स्वीकृत उच्चतम दर की शेष 3/4 तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31-07-2014 तक 1/4 दि. 30-09-2014 तक तथा 1/4 दि. 30-11-2014 तक) जमा कराना जावेगा। उक्त



	अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गारंटी संवेदक को वर्ष 2014-15 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर बैंक गारंटी वापिस कर दी जावेगी। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 हेतु 1/4 ठेका राशि ठेकेदार द्वारा 31 जनवरी 2015 से पूर्व नगद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करावाई जावेगी तथा साथ में शेष 3/4 राशि की बैंक गारंटी भी दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2015 तक, 1/4 दि. 31.07.2015 तक तथा 1/4 दि. 30.09.2015 तक) जमा करायी जावेगी और पूर्ण राशि जमा होने पर बैंक गारंटी वापिस लौटा दी जावेगी। तृतीय वर्ष 2016-17 हेतु 1/4 राशि ठेकेदार द्वारा 31 जनवरी 2016 से पूर्व नगद या डीडी द्वारा जमा करावाई जावेगी तथा साथ में शेष 3/4 राशि की बैंक गारंटी दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2016 तक 1/4 दि. 31.07.2016 तथा 1/4 30.09.2016) जमा करायी जावेगी। सम्पूर्ण राशि जमा होने पर संवेदक की बैंक गारंटी वापिस लौटा दी जावेगी।
16	संवेदक को ठेका दिया जाते समय निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर शुल्क वसूली नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार अधिकृत दरों पर करनी होगी परन्तु नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार को इसमें किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ऐसे परिवर्तन से इन दरों में जो वृद्धि होगी उसके बड़े हुए अनुपात में ठेका राशि भी बढ़ाई जावेगी तथा यह बड़ी हुई ठेका राशि पूर्व अनुमोदित ठेका राशि के अतिरिक्त नगर निगम जयपुर में सौचक जो एकमुश्त जमा करानी होगी। यदि नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार द्वारा ये दरें घटाई जाती हैं तो ठेका राशि में आनुपातिक कमी की जावेगी।
17	संवेदक को निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पाए गए विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों को हटाने का अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापन पाए जाने पर संवेदक उनकी सूची तैयार कर प्रति पाक्षिक जोन कार्यालय एवं आयुक्त (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना शून्य होने पर भी संवेदक द्वारा प्रति पाक्षिक जोन आयुक्त एवं आयुक्त (राजस्व) को सूचना देना अनिवार्य होगी। जोन कार्यालय द्वारा उक्त सूची पर विज्ञापन बोर्डों को जमा करने की कार्यवाही की जाएगी। संवेदक के अनुरोध पर संवेदक को सहयोग के लिए निगम की ओर से एक राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक एवं दो पुलिसकर्मी उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
18	जोन आयुक्त संवेदक द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही कर पालना आयुक्त (राजस्व) को आगामी सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे। जोन कार्यालय अपने स्तर से भी विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यदि जोन कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो निगम मुख्यालय की आयुक्त (सतकवा) की टीम जिसमें एक राजस्व निरीक्षक या सहा. राजस्व निरीक्षक जोन की टीम के साथ कार्यवाही करेंगे। संबंधित जोन कार्यालय राजस्व स्ट्राफ द्वारा उड़न दस्तों का गठन कर विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरुद्ध चालान करने की कार्यवाही की जावेगी। चालानों से प्राप्त आय/राशि नगर निगम जयपुर की होगी।
19	नगर निगम जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों की संवेदक द्वारा पालना की जावेगी।
20	संवेदक द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन से संबंधित शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार निर्धारित रसीद बुर्के एवं प्रपत्र अपने खर्च पर छपाकार नगर निगम के जोन आयुक्त से प्रमाणित करवाने होंगे। इसके उपरान्त ही रसीदों एवं प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। संवेदक को इस शर्त के प्रत्येक बार उल्लंघन पर 5000/- रु. के अर्थात् षड से दण्डित किया जावेगा। ठेका समिति पर खाली रसीद बुर्के एवं ठेके से संबंधित समस्त रिकॉर्ड जोन आयुक्त को जमा कराना होगा। जोन आयुक्त का दायित्व होगा कि निर्धारित रसीद बुर्के एवं प्रपत्र प्राप्त होने पर 3 दिवस में उन्हें प्रमाणित करें। जोन आयुक्त प्रमाणित करने हेतु राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या दोनों को अधिकृत कर सकेंगा। जोन आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण नहीं करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जोन आयुक्त का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आयुक्त (राजस्व), राजस्व अधिकारी (हाईडिंग) को प्रमाणित करने का निर्देश दिया जा सकेगा।
21	प्रत्येक वसूली की पूरी राशि की रसीद जारी करना अनिवार्य होगा। जयपुर नगर निगम द्वारा अधिकृत दरों के अनुसार ही राशि वसूल की जा सकेगी। अन्य कोई शुल्क, पैनल्टी, सेवाकर या कोई भी राशि की नागरिकों से संवेदक द्वारा वसूल नहीं की जावेगी। संवेदक व उसके कर्मियों के प्रति नगर निगम का कोई उल्लंघन नहीं होगा।
22	विज्ञापन कलाओं को कम से कम असुविधा हो संवेदक को इसका पूर्ण ध्यान रखना होगा। संवेदक के वसूली हेतु अधिकृत कार्मिकों को नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना तथा नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा। संवेदक एवं उनके अधिकृत कार्मिक शुल्क दाताओं से सौहार्दपूर्ण एवं सौम्य व्यवहार करेंगे। किसी भी प्रकार की अशांतिकारी एवं अशोभनीय व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। तीन से अधिक सत्य शिकायत प्राप्त होने पर संवेदक की जमा राशि जमा कर ठेका समिति की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
23	संवेदक यदि चाहे तो स्वयं के खर्च पर अपने क्षेत्र में एक कार्यालय संबंधित कर सकेगा जिसकी अनुमति नगर निगम जयपुर से प्राप्त करनी होगी। संवेदक वसूली हेतु स्वयं के खर्च पर अपने क्षेत्र में कैम्प भी आयोजित कर सकेगा जिसमें नगर निगम के कार्मिक आवरकतानुसार उपस्थित हो सकते हैं।
24	संवेदक एवं उनके अधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी भी नागरिक से अधिकृत दरों से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जोन आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जावेगी और शिकायत सही पाई जाने पर वसूल की गई अथवा वसूली की दुगुनी राशि बतौर दण्ड स्वरूप संवेदक से वसूल की जावेगी तथा अवैध वसूल की गई राशि नागरिक को संवेदक द्वारा अलग से लौटानी होगी।
25	नगर निगम जयपुर के प्रशासनिक जोन की स्थिति में अनुबंध की तिथि को निर्धारित किया गया ऐरिया नहीं बदलना अर्थात् अनुबंध के पश्चात जोन कार्यालय का क्षेत्र परिवर्तित होने पर ठेके का क्षेत्र परिवर्तित नहीं होगा।
26	संवेदक अथवा उसके अधिकृत कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली की 3 से अधिक सत्य शिकायतें पाई जाने पर संवेदक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए संबंधित जोन आयुक्त प्रकरण तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकतम 50,000/- रु. तक पैनल्टी संवेदक से वसूल करने का निर्णय लिया जा सकेगा एवं 10% से अधिक सत्य शिकायतें पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ठेका समिति की अभिवंशा की जा सकेगी।

27	सर्वेदक अपने अधिकार क्षेत्र में ही विज्ञापन शुल्क की वसूली करेंगे। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विज्ञापन शुल्क की अवैध विज्ञापन शुल्क वसूली करने पर, अधिकृत क्षेत्र से बाहर की गई विज्ञापन शुल्क की राशि एवं रुपये पांच हजार अतिरिक्त जमा कराने होंगे। सर्वेदक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
28	समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर यथा सेवाकर आदि/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन सर्वेदक (लाईसेंसधारी) को ही करना होगा एवं नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे किसी कर/शुल्क की वसूली सर्वेदक द्वारा जनता से नहीं की जावेगी।
29	सर्वेदक के विरुद्ध कोई भी शिकायत होने पर नगरिक द्वारा संबंधित जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व) को लिखित शिकायत मय सबूत (यदि कोई हो तो संलग्न कर) पेश करेंगे जिनकी जांच जोन आयुक्त द्वारा 7 दिवस में की जावेगी। नगरिक अपनी शिकायत नगर निगम जयपुर के ईमेल आईडी नं. 0141-2743190 पर भी कार्यालय समय दर्ज करा सकते हैं।
30	सर्वेदक के अधिकृत कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा अनुमतिपत्र विज्ञापन की दर, मुख्य मार्गों की सूची राजपत्र में प्रकाशित नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 की अधिसूचना की प्रति अपने साथ रखेंगे तथा करदाता द्वारा चाहने पर पुष्टि हेतु वसूलीकर्ता द्वारा अवलोकन करवाया जावेगा।
31	ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुनवाई का अवसर देते हुए सर्वेदक द्वारा जमा कराई गई ठेका राशि जप करत हुए सर्वेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसमें सर्वेदक का ठेका समाप्त भी शामिल है। इस संबंध में नगर निगम जयपुर के अधिकृत अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे।
32	ठेके से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में आर्बिटर द्वारा इसका निस्तारण किया जा सकेगा। आर्बिटर प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग होंगे।
33	नगर निगम द्वारा स्वयं के खर्च पर वसूली की दरों एवं अनुमतिपत्र निविदा से संबंधित उपयुक्त जन सूचनाएँ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाकर आम जनता को सूचित किया जावेगा।
34	सर्वेदक द्वारा संबंधित जोन कार्यालयों में सूचनाएँ एवं अधिकृत सर्वेदक का नाम, पता व फोन नं. अंकित करके पत्नीय रूप से प्रदर्श करने होंगे।
35	जिन फर्मों/सर्वेदक के विरुद्ध नगर निगम जयपुर के किसी ठेके की कोई राशि बकाया चल रही है वह/वे सर्वेदक बकाया राशि नगर निगम जयपुर में जमा करने के परचात ही बोली में भाग ले सकेंगे। यदि किसी प्रकार में न्यायालय में वाद विचारार्थान हो तथा वसूली के विरुद्ध स्थगन दिया गया हो तो न्यायालय में विचारार्थान प्रकरण की बकाया राशि इस शर्त के अधीन न्यायालय के निर्णय तक बकाया नहीं मानी जावेगी। नगर निगम जयपुर में पूर्व के किसी भी प्रकार के ठेके में ठेकेदार फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया हो तो वे निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
36	सर्वेदक द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली के दौरान होने वाली किसी भी घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसके लिए नगर निगम जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा। मौके पर किसी भी विवाद/झगड़ा होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कानूनी कार्यवाही सर्वेदक द्वारा ही की जावेगी।
37	वालपेटिंग/विज्ञापन को पुराई करके मिटाने का अधिकार सर्वेदक का होगा। इस कार्य के लिए सर्वेदक को कोई सुगतान नगर निगम जयपुर द्वारा देय नहीं होगा। समस्त खर्चा सर्वेदक को वहन करना होगा।
38	शहर में ल्यूहार/समारोह पर होने वाली सजावट के लिए किए जाने वाले विज्ञापन प्रदर्श को शुल्क वसूली से मुक्त रखने बाबत नगर निगम जयपुर/राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सर्वेदक को करनी होगी।
39	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय श्रवणाधिकार केवल जयपुर शहर ही होगा।
40	सर्वेदक द्वारा यदि विज्ञापन बोर्डों का विज्ञापन शुल्क राशि जमा करवाने हेतु सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को "बिल" प्रेषित किया जाता है व सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा सर्वेदक को राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो सम्बन्धित सर्वेदक द्वारा सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से कुर्की कार्यवाही से विज्ञापन शुल्क वसूली का लिखित आवेदन पत्र मय सम्बन्धित बोर्ड का विवरण मय फोटोज एवं तामिल हुए बिल की प्रति संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित जोन आयुक्त द्वारा उपयुक्तता की जांच करवाये जाने के बाद, नियमानुसार बिल, मागपत्र जारी किये जाने के बाद कुर्की के आदेश दिये जायेंगे।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर